न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/128/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री राधेश्याम गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामधन गुर्जर निवासी–धीरोडा, तहसील–राजगढ (अलवर)–301410		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 24.08.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.10.18

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 20.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग ऐ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 03 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
4. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 20.06.2018 के बिन्दु सं. 1 में वांछित सूचनाऐं पूर्णतः नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 09.08.2018 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2524–25 दिनांकः 24.08.18 के माध्यम तलब कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः पत्र सं. 2571–72 दिनांकः 05.09.18 के माध्यम से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः सू.अ./18/3519 दिनांकः 10.09.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. हमने प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित अपीलोत्तर एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र दिनांकः 09.08.18 का परीक्षण किया।
8. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिन्दु सं. 1 के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण सूचना आवेदक को इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई है कि वांछित कुल 9 दस्तावेजों में से 06 पत्र फोटोप्रति के रूप में उपलब्ध है जिन्हें प्रमाणित कर नहीं दिया जा सकता है। शेष 03 पत्रादि प्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित अपीलोत्तर दिनांकः 10.09.18 के बिन्दु सं. 2 में यह भी अंकित किया है कि " आवेदक के आवेदन अनुसार शेष दस्तावेजों (उपलब्ध कराये जाकर) सूचना आवेदक को श्रीमान् के निर्देशानुसार सूचित कर दिया जावेगा।"

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

10. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सूचना को साधारणतया उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांकः 10.07.2008 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) की व्याख्या की है कि "यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9)} का मतलब सिर्फ इतना भर है कि ***यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छायाप्रति के रूप में मुहैया कराई जाए*** और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।'

11. उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 20.06.18 के बिन्दु सं. 1 के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध/आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेजों/पत्रों की फोटोप्रति की फोटोप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

12. अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपील का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)